रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3405] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 14, 2017/अग्रहायण 23, 1939
No. 3405] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 14, 2017/AGRAHAYANA 23, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2017

का.आ. 3881(अ).—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए, प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है ।

प्रारूप अधिसूचना

और, खावंगलंग वन्यजीव अभयारण्य उत्तर-पूर्वी भारत के मिजोरम राज्य के दक्षिण-मध्य भाग में लुंगलेई जिले में स्थित है और मिजोरम राज्य की राजधानी आइजोल से लगभग 170 किलोमीटर दूर स्थित है;

और, यह अभयारण्य 35.0 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसका 40% क्षेत्र आरक्षित वन और 60% क्षेत्र सरकारी अवर्गीकृत भूमि है। घाटियों और तलहटियों को छोड़कर इसका अधिकांश क्षेत्र पहाड़ी जिसमें 70% खड़ी पहाड़ी ढ़लान और 30% नम्र ढलान हैं तथा रेतीली मिट्टी और तलछटी चट्टानें भी है;

और, अभयारण्य में उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध-सदाबहार वन हैं, जिनकी समृद्ध जैविक विविधता पारिस्थितिकी सेवाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाटरशेड़ मूल्यों की दृष्टि से इस अभयारण्य का बहुत महत्व है, क्योंकि यह बारहमासी जल का एकमात्र स्रोत है जिससे सीमांत ग्रामों में पेयजल की आपूर्ति होती है;

और, इसके पारिस्थितिकी, वनस्पति, जीवजन्तु और प्राकृतिक महत्व के कारण और वन्यजीवों के संरक्षण, प्रचार और विकास के लिए इसकी आवश्यकता के कारण मिजोरम राज्य सरकार द्वारा इसे पर्यावरण वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत जारी अधिसूचना सं. बी.12012/10/96-एफएसटी, दिनांक 12 अक्टूबर, 2000 के द्वारा अभयारण्य घोषित किया गया था;

और, अभयारण्य जैव विविधता में काफी समृद्ध है, और कई दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटापन्न (आरईटी) और स्थानिक प्रजातियों को आश्रय और संरक्षण प्रदान करता है;

और, अभयारण्य वनस्पतियों की लगभग 28 प्रजातियों को संरक्षण और आश्रय देता है जिनमें 14 वृक्ष प्रजातियां, बांस और रॅतन की 11 प्रजातियां और ऑर्किड की 3 प्रजातियां सम्मिलित हैं। 14 वृक्ष प्रजातियों में थिंगप्यूथिंग (*लिथोकारपस एलिगेंस*), सफूत (*रान्डिया वालिची*), टैटे (*आर्टोकारपस नाइटिडस*), थिंग्सिया (*कास्टानोपिस लान्स्टाफोलिया*), छावंठ्यूवल (*अपूरुसा ओकटेन्ड्रा*), देन (*क्रेरकस हेल्फ़िरियाना*), खियांग (*स्कीमा वॉलिचिई*), केइफैंग (*मिरिका एसुलेंटा*), थेनसेन (*लिथोकारपस पैचिफाईला*), थिंग्सपू (*डायोएक्सिलेम ऑलियारिया*), खुंगथुल (*अल्सेडोफन पेटीओलारिस*), बल्बवार (*पर्सन विलोसा*), सेवुक (*ओलेआ डायओसिआ*) और थेरिया (*कोरिलीया ब्रेचीटा*) सम्मिलित हैं। बांस और रतन की 11 प्रजातियों में रॉक्सब रावथिंग (*बैंबुसा तुलदा*), मुनरो नाकाई-फार (*चिमोनोबैम्बुसा कॉलोसा*), मुनरो-रावपूई (*डेंड्रोकैलेमस गिगेंटास*), नीस और अर्न -फुलरुआ (*डेंड्रोकैलेमस हॅमिल्टनि*), कुर्ज़-रावनाल (*डेंड्रोकैलेमस लांगीपैथस*), गैंबल-रावमी (*डेंड्रोकैलेमस सिक्किमेंसिस*), कुर्ज़-मॉटक (*मेलोकाना बासीफेरा*), गैंबल-रावथला (*स्कीज़ोस्टाच्यम दुलुआ*), गैंबल-रॉन्गल (*स्कीज़ोस्टाच्यम फूशियायनम*), मजूमदार-चाल (*स्कीज़ोस्टाच्यम पॉलीमोरफम*) और मुनरो-लिक (*सिनारुंडिनारिया ग्रिफिथियाना*) सम्मिलित हैं;

और, अभयारण्य जीवजन्तुओं की 21 प्रजातियों को आश्रय देता है जिनमें मांसाहारियों की 8 प्रजातियां, प्राइमेट्स की 4 प्रजातियां और 3 शाकाहारी प्रजातियां सम्मिलित हैं। यह 15 स्तनधारी प्रजातियों जैसे हुलांक उतक (*हीलोबेट्स हूलॉक*), स्टंप- लघु पुच्छ वानर (*मकाका आर्क्टिओइड्स*), फायरे लिफ्स बंदर (*ट्रैकिपिथेकस फ़ैरी*), कैप्ड लंगूर (*ट्रैक्टीपेटेकस पाइलेटस*), तेंदुआ (*पैंथेरा पार्डस*), स्वर्ण बिल्ली (*फ़ेलट्स टेममिन्की*), मारबल्ड बिल्ली (*पेर्डोफेलिस मार्मोराटा*), बनबिलार (*फेलट्स चौस*), तेंदुआ बिल्ली (*प्रियोनाइलुरुस बेंगलेंसिस*), हिमालयन बैक भालू (*उर्सस थिबेटनस*), मलायन सूर्य भालू (हेलारकोट्स मालायनस), जंगल कुत्ता/धोल (*क्यूओन अल्पाइंस*), सेरो (*कैप्ररीकोर्निस रूबिडस*), गोरल (*निमोराएडस ग्रिसस*) और मुंजक (मुनटियाकस मुंटजैक) को भी आश्रय देता है;

और, अभयारण्य 3 महत्वपूर्ण सरीसृप प्रजातियों को आश्रय देता है जिनमें बर्मेसे पायथन (*पायथन मोलून्सबिवेटटस*), किंग कोबरा (*ओफिओफैगस हन्ना*) और ग्रीन व्हिस्पनेक (*एट्रुल्ला नासूता*) आदि है। यह तीन महत्वपूर्ण फ्रेश वाटर कछुए/टेरापीन्स और कछुए को भी आश्रय देता है जिनमें एशियन ब्राउन कछुआ (*मनोरिया एमीस*), असम लीफ टर्टल (*साइक्लेमिस डेंटेट*) और मलायन बॉक्स कछुए (*कुओरा एबॉन्वेन्सिस*) सम्मिलित हैं;

और, अभयारण्य पक्षियों की दृष्टि से समृद्ध है और **17** महत्वपूर्ण पक्षी प्रजातियों को आश्रय देता है जैसे कि कलिस तीतर (*लोफुरा लेकुमेलानोस*), ग्रे मयूर तीतर (*पॉलीप्लेक्ट्रोन बाइलिककार्टम*), बांस तीतर (*बाम्बसिओला फायची*), स्मॉल बंटक्राइल (*टर्निक्स सिल्वैटिकस*), ओरिएंटल चितकबरी धनेश (*एन्थ्रोकोकेरस अल्बिओरस्ट्रिस*), वावरहेड धनेश (*रीयटीसर्स अंडुलेटस*), ग्रे वेगटेल (*मोटेसिला सिनेरिया*) , वन वेगटेल (*मोटासिला इंडिका*), रेड हेडेड ट्रागोन (*हारपैक्ट्स इरिथ्रोसेफालस*), लॉगटेल्ड ब्रॉडबिल (*स्टेरिसोमस डेलहासिया*), ग्रे हेडेड पैरोटबिल (*पैराडोक्सोर्निस गुलारिस*), व्हाइट क्रस्टेड वायानद चिलबिल (*गाररुलक्स लेउकोफॉफस*), ब्राउन वुड उल्लू (*स्ट्रीक्स लेप्टोग्रामिका*), लिटिल बटंगुइल (*टर्निक्स सिल्वैटिका*), ब्लू बियरडेड मधुमक्खी ईटर (*निक्टीयोर्निस एर्थरोनि*) और ग्रे बैंक्ड शिरीके (*लैनीस टेफ्रोनोटस*) सम्मिलित हैं;

और, अभयारण्य में 11 स्थानिक प्रजातियां भी हैं जिनमें लमचित्ता, हुलांक उतक, सूर्य भालू, लजीला वानर, फायरे लीफ बंदर, सांभर, सेरो, कलीज तीतर, मोर तितर, सामान्य पहाड़ी तीतर और चितकबरी धनेश आदि शामिल हैं;

और, अभयारण्य में विभिन्न प्रकार के सीमित वनस्पति, जीवजन्तु और पक्षी-जीव रहते हैं, और यह मिजोरम और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के स्थानिक वन्यजीवों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षक और आश्रय स्थल है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मिजोरम राज्य में खावंगलंग वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0.1 किलोमीटर से 0.6 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र के 16.19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को खावंगलंग वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और सीमा**.-

(1) खावंगलंग वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0.1 किलोमीटर से 0.6 किलोमीटर तक विस्तारित 16.19 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पारिस्थितिकी संवेदी जोन होगा।

(2) खावंगलंग वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध हैं।

(3) खावंगलंग वन्यजीव अभयारण्य के निर्देशांक और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू मण्डलीय स्थिति प्रणाली निर्देशांक **उपाबंध II** के रुप में उपाबद्ध है|

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध III** के रुप में उपाबद्ध है|

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना :–

(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से राज्य सरकार द्वारा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, के अनुरूप तैयार की जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना, पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय संबंधी सरोकारों को उक्त योजना में समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार की जायेगी,:--

i. पर्यावरण;

ii. वन और वन्यजीव;

iii. कृषि और बागवानी ;

iv. पशुपालन और पशु चिकित्सा;

v. भूमि राजस्व और समाधान;

vi. स्थानीय प्रशासन;

vii. पुलिस;

viii. ग्रामीण विकास;

ix. नगरपालिक और शहरी विकास;

x. पंचायती राज;

xi. लोक निर्माण विभाग;

xii. पारि-पर्यटन सहित पर्यटन;

xiii. मत्स्य पालन;

xiv. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

xv. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों को अधिक दक्ष और पर्यावरण अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित और अवक्रमित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, की व्यवस्था की जाएगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामीण और शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्रों के साथ निर्धारण किया जाएगा। इस योजना से संबंधित सहायक मानचित्र में विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा दिया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना के अंतर्गत पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित किया जाएगा तथा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्टानुसार निषिद्ध किए गए, विनियमित किए और बढ़ावा दिए गए क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा तथा स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के किए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास सुनिश्चित तथा संवर्धित किया जायेगा ।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(9) आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी जिसमें इस अधिसूचना के उपबंधों से सम्बधित उसके कर्तव्यों के निवर्हन का विवरण होगा ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय:-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग**:

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, उद्यानों तथा आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए खुले स्थानों का बड़े वाणिज्यिक और आवासीय परिसरों संबंधी औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं किया जाएगा:

(ख) परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कृषि भूमि एवं अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम के अधीन, सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से तथा यथा लागू केन्द्रीय/राज्य सरकार के प्रासंगिक नियमों और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होगा :

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का निर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का निर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योग; सुविधा भण्डार और गृह वास सहित स्थानीय सुविधाएं जो पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक हैं; और

(v) बढ़ावा दिए गए और पैरा-4 में वर्णित क्रियाकलाप :

(ग) परंतु यह भी कि राज्य सरकार के प्रासंगिक नियमों तथा विनियमों एवं क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों अथवा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, के अनुपालन के बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

(घ) परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर की भूमि के अभिलेखों में उत्पन्न किसी त्रुटि की, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार शुद्धि की जाएगी और उक्त त्रुटि के शुद्धिकरण की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी ।

(ङ) परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि के शुद्धिकरण में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

(च) परंतु यह भी कि वन क्षेत्र और कृषि क्षेत्र जैसे हरित क्षेत्र में कोई पारिणामी कमी नहीं की जाएगी और अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने पर्यावासों एवं जैव विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** -- सभी प्राकृतिक जल स्रोतों, नदियों/चैनल/जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आचंलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी । इन क्षेत्रों में या आसपास के क्षेत्रों में प्रतिषिद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए राज्य सरकार द्वारा सख्त दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन**:

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा ।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा राज्य के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का एक घटक होगी ।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे,:-

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1.0 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इसमें जो भी निकट हो, किसी होटल या रिसोर्ट का नया संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । तथापि, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1.0 किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक नए होटलों और रिसोर्टों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व परिभाषित एवं अभीहित क्षेत्रों में अनुज्ञात की जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देते हुए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार होगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के विकास तथा विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नये होटल/रिसार्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(4) **प्राकृतिक विरासत –** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि सभी जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी तथा उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी जो आंचलिक महायोजना का भाग होगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कृत्रिम क्षेत्रों, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी जो आंचलिक महायोजना का भाग होगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बनाए गए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुसार किया जाएगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधो और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्रावों का निस्सारण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट -** ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा -

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। गैर-जैविक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थान पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन के भीतर मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट**- (क) जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान निम्न प्रकार से किया जाएगा :-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय –समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन के भीतर मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल ठोस प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय –समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय –समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 समय –समय पर यथा संशोधित के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **वाहन-यातायात: -** वाहन-यातायत का संचलन आवास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे तथा आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार वाहनों की आवाजाही के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन प्रदूषण:-** वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन जैसे कि सीएनजी, एलपीजी आदि के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां: -** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी भी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं की जायेगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात की जायेगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जायेगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जायेगा:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं होगी ।

(ख) जिन विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है, उनमें कोई भी संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

(18) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझें तो, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए, अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेंगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और उसके तहत बनाए गए नियमों तथा तटीय विनियमन जोन, 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के उपबंधों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	विवरण
(1)	(2)	(3)
	क.प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन।	(क) स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं, जिनमें घर के निर्माण या मरम्मत के लिए जमीन की खुदाई और मकान बनाने एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलें या ईटें बनाना शामिल है, को छोडकर सभी नई और वर्तमान (लघु एवं वृहद खनिज) पत्थर खोदने एवं तोडने वाली ईकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध की जाती है ; (ख) खनन क्रियाकलाप, टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सी) सं 202 में दिनांक 4 अगस्त, 2006 तथा गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका(सी) सं. 435 में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किए जाएंगे।
2.	उद्योगों की स्थापना जिसके अंतर्गत (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) प्रदूषण उत्पन्न करने वाले नए तेल और गैस खोज उद्योग भी हैं।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी। (ख) जब तक कि इस प्रकार अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों की अनुज्ञा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	नई बृहत जल विद्युत परियोजना और सिंचाई परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितकी संवेदी जोन के भीतर नई आरा मिल स्थापित करना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
	ख.विनियमित क्रियाकलाप	
9.	होटलों और रिजॉर्टो की वाणिज्यिक स्थापना।	(क) पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1.0 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नही होंगे। (ख) परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1.0 किलोमीटर के बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा।
10.	फर्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।

11.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1.0 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: (ख) परंतु स्थानीय निवासियों की आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थानीय लोगों को, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी जैसे कि:- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योग; (iv) कुटीर उद्योग, जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधा भण्डार और पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाएं जिनमें अंतर्गत ग्रह वास भी हैं; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध प्रोत्साहन दिए गए क्रियाकलाप। (ग) परन्तु लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ऐसे लघु उद्योगों, जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (घ) 1.0 किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
12.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
13.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
14.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
15.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने और तार-बिछाने एवं अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
16.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किया जायेगा।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किया जायेगा।
18.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स आदि को उड़ाने जैसे	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।

	क्रियाकलाप।	
19.	पर्वतीय ढ़लानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
20.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
21.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होगा।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित/अपशिष्ट जल/बहिस्राव का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिस्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/ बहिस्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
23.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
24.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं/ बोर कुएं आदि का निर्माण।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की सख्त निगरानी की जाएगी।
25.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर पॉलिथीन बैग के उपयोग की अनुमति होगी परन्तु यह विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
27.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप	
29.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय रुप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	अवक्रमित भूमि/वनों या वास-स्थलों की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	पर्यावरणीय जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. निगरानी समिति.-

केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पारिस्थितिक संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए जिला स्तर पर एक निगरानी समिति (डीईएसजेडएमसी) गठित करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:--

(i) लुंगलेई जिला के उपायुक्त -अध्यक्ष;

(ii)	भूमि राजस्व और बंदोबस्त विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(iii)	ग्रामीण विकास विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(iv)	कृषि विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(v)	स्थानीय प्रशासन विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(vi)	लोक निर्माण विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(vii)	सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरीग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(viii)	मत्स्य विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(ix)	उद्योग विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(x)	पुलिस विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(xi)	विद्युत एवं विद्युत विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(xii)	पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(xiii)	मृदा एवं नमी संरक्षण विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(xiv)	लघु सिंचाई विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(xv)	पर्यावरण संरक्षण (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि जिसे मिजोरम सरकार द्वारा नामित किया जायेगा	–सदस्य;
(xvi)	क्षेत्रीय अधिकारी, मिजोरम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	–सदस्य;
(xvii)	मिजोरम राज्य की किसी प्रतिष्ठित संस्था या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी का विशेषज्ञ	–सदस्य;
(xviii)	मिजोरम राज्य की किसी प्रतिष्ठित संस्था या विश्वविद्यालय से जैव विविधता का विशेषज्ञ	–सदस्य;
(xix)	संबंधित डीसीएफ / डीएफओ	–सदस्य सचिव।

6. विचारार्थ विषय :-

(1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुन: गठन किए जाने तक होगा और बाद में निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) निगरानी समिति वास्तविक विशिष्ट दशाओं के आधार पर उन क्रियाकलापों की संवीक्षा करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्तर्गत आते हैं। इनमें वे क्रियाकलाप शामिल नहीं हैं जो इस अधिसूचना के पैरा 4 में दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट हैं तथा जिन्हे केन्द्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के लिए भेजा गया है।

(4) वे क्रियाकलाप, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं, परन्तु जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंर्तगत आते हैं, उनकी, इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, वास्तविक स्थल विशिष्ट दशाओं के आधार पर, निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जायेगी और उन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जायेगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित कार्य प्रभारी इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) निगरानी समिति प्रत्येक मामले में आवश्यकताओं के आधार पर संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध IV** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/19/2017-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

खावंगलंग वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर: दैदक लुई और तुईचंग लुई (92°55'59.084"पू, 23°10'27.637"उ) के संगम से आरंभ होकर, पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा अभयारण्य सीमा से 500 मीटर की दूरी तक जाकर वाईफेई लुई (92°57'40.276"पू, 23°9'19.043"उ) से मिलती है।

पूर्व: वाईफेई लुई को पार करके, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की पूर्वी सीमा अभयारण्य सीमा से 500 मीटर की दूरी तक जाकर तुईकौल लुई (92°59'52.932"पू, 23°5'42.853"उ) से मिलती है।

दक्षिण: दक्षिणी सीमा तुईकौल लुई से अभयारण्य सीमा से 600 मीटर की दूरी तक जाकर तुचंग नदी (92°57'27.647"पू, 23°3'56.07"उ) से मिलती है।

पश्चिम: पारिस्थितिकी संवेदी जोन की पश्चिमी सीमा तुईखुर लुई और तुचंग नदी के संगम से 100 मीटर की दूरी तक है। यह 100 मीटर की दूरी पर अभयारण्य की सीमा के साथ जाकर तुहर लुई (92°56'18.18" पू, 23°6'9.242" उ) से मिलती है। इसके परे यह अभयारण्य सीमा से 600 मीटर की दूरी तक फैली हुई है और खावांक्रां लुई (92°54'59.715"पू, 23°7'54.109" उ) को पार करके यह दैदक लुई से मिलती है।

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की चौड़ाई अभयारण्य सीमा से 100 मीटर से 600 मीटर तक विस्तृत है।

उपाबंध-II

भू स्थिति प्रणाली की दृष्टि से खावंगलंग वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन के निर्देशांक

संरक्षित क्षेत्र की सीमा के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	अवस्थिति/दिशा के मुख्य बिंदु	अक्षांश(उ) (डीएमएस प्रारुप)	देशांतर (पू) (डीएमएस प्रारुप)
1	उत्तर	23°10'14.117"उ	92°56'10.368"पू
2	दक्षिण-पूर्व	23°5'39.496"उ	92°59'36.494"पू
3	दक्षिण	23°4'14.416"उ	92°57'30.665"पू
4	उत्तर-पश्चिम	23°8'18.906"उ	92°55'17.243"पू

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	अवस्थिति/दिशा के मुख्य बिंदु	मुख्य बिंदु	अक्षांश(उ) (डीएमएस प्रारुप)	देशांतर (पू) (डीएमएस प्रारुप)
1	उत्तर	दैदक लुई	23°10'27.637"उ	92°55'59.084"पू
2	उत्तर-पूर्व	वईफेई लुई	23°9'19.043"उ	92°57'40.276"पू
3	पूर्व	तुईकौल लुई	23°5'42.853"उ	92°59'52.932"पू
4	दक्षिण-पूर्व	तुईतलिन लुई	23°5'42.319"उ	92°59'57.270"पू
5	दक्षिण	तुचैंग लुई	23°3'56.07"उ	92°57'27.647"पू
6	दक्षिण-पश्चिम	तुईहर लुई	23°6'9.242"उ	92°56'18.18"पू

7	पश्चिम	खवांगकाव लुई	23°7'54.109"उ	92°54'59.715"पू

उपाबंध-III

भू-निर्देशांकों के साथ खावंगलंग वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

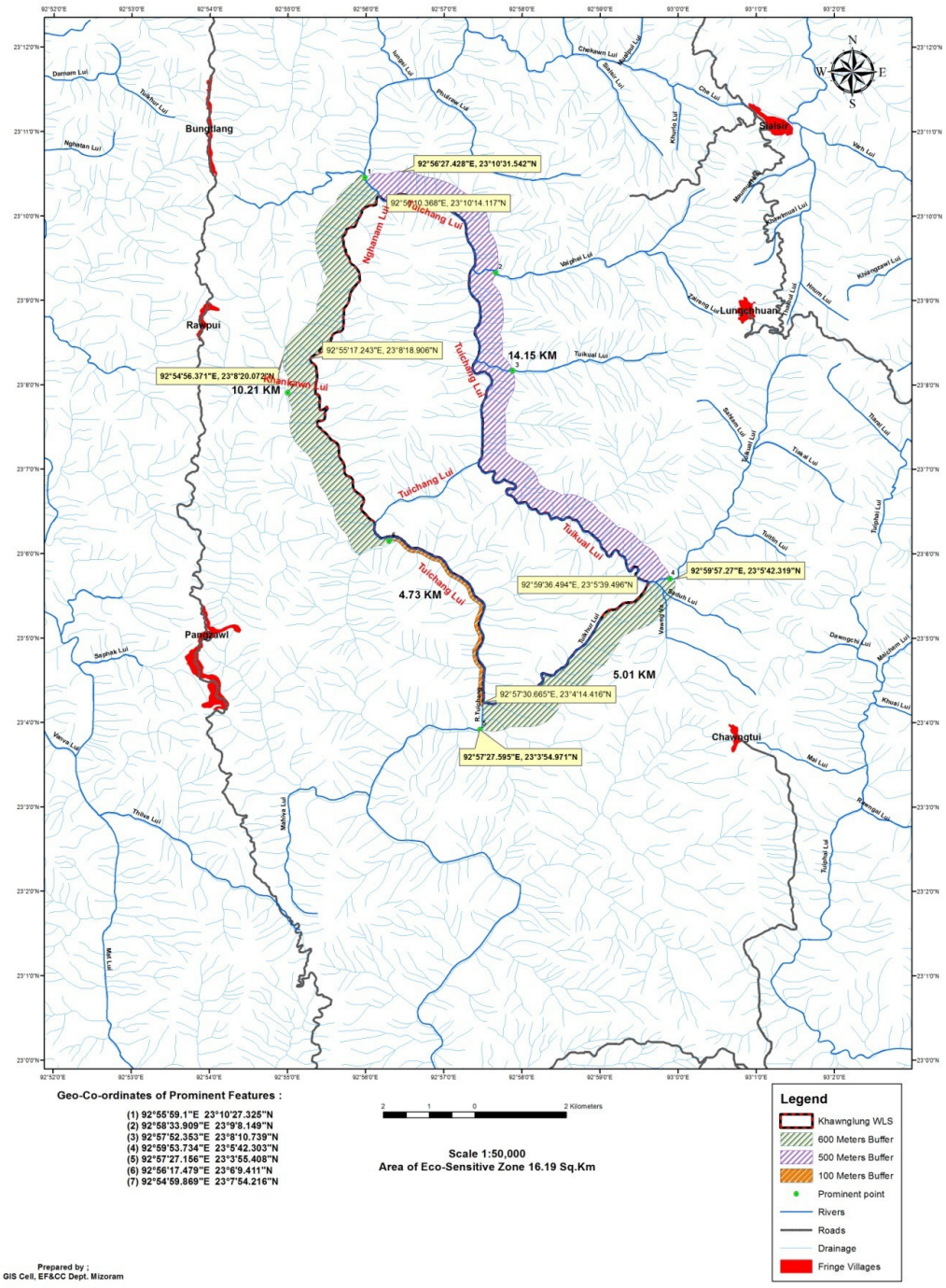

उपाबंध IV

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रपत्र

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 2017

S.O. 3881(E).—The following Draft of Notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said Draft Notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposal contained in the Draft Notification may forward the same in writing for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi-110003 or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in.

Draft Notification

WHEREAS, the Khawnglung Wildlife Sanctuary (hereinafter referred to as the Sanctuary) is situated at Lunglei District in the south-central part of Mizoram state, northeastern India and is located about 170 km from the state capital, Aizawl, of Mizoram;

AND WHEREAS, the Sanctuary covers extent of 35.0 square kilometers where 40% of the area is Reserve Forest and 60% is Government unclasses land. Most of the area is hilly terrain, except the valleys and foothills, with 70% steep and 30% gentle slopes with sandy clay soil and sedimentary rocks;

AND WHEREAS, the Sanctuary has tropical evergreen and Semi-evergreen forests with its rich biological diversity plays a vital role in provision of ecological services. The sanctuary also have tremendous significance for its watershed values, being the only source of perennial water providing supply of drinking water to the fringe villages;

AND WHEREAS, the Sanctuary was declared by the State Government of Mizoram considering its ecological, floral, faunal and natural significance, and its need for the protection, propagation and development of wildlife and its environment under the provisions of Wildlife (Protection) Act, 1972 vide Notification No. B.12012/10/96-FST dated the 12th October, 2000;

AND WHEREAS, the Sanctuary is tremendously rich in biodiversity, and provides shelter and protection to many rare, endangered and threatened (RET) and endemic species;

AND WHEREAS, the Sanctuary conserves and supports about 28 species of flora including 14 tree species, 11 species of bamboo and rattans and 3 species of orchids. The 14 tree species include Thingpuithing (*Lithocarpus elegans*), Saphut (*Randia wallichi*), Tatte (*Artocarpus nitidus*), Thingsia (*Castanopsis lanceafolia*), Chhawntual (*Aporusa octandra*), Then (*Quercus helferiana*), Khiang (*Schima wallichii*), Keifang (*Myrica esulenta*), Thensen (*Lithocarpus pachyphylla*), Thingsaphu (*Dysoxylum alliaria*), Khuangthulh (*Alseodaphne petiolaris*), Bulbawr (*Persen villosa*), Sevuak (*Olea diocia*) and Theiria (*Corallia brachiata*). The 11 species of bamboo and rattans include Roxb Rawthing (*Bambusa tulda*), Munro Nakai-Phar (*Chimonobambusa callosa*), Munro-Rawpui (*Dendrocalamus giganteus*), Nees & Arn -Phulrua (*Dendrocalamus hamiltonii*), Kurz-Rawnal (*Dendrocalamus longispathus*), Gamble-Rawmi (*Dendrocalamus sikkimensis*), Kurz-Mautak (*Melocanna baccifera*), Gamble-Rawthla (*Schizostachyum dullooa*), Gamble-Rawngal (*Schizostachyum fuchsianum*), Majumdar-Chal (*Schizostachyum polymorphum*) and Munro-Lik (*Sinarundinaria griffithiana*);

AND WHEREAS, the Sancturay supports 21 fauna species including 8 species of carnivores, 4 species of primates and 3 species of herbivores. It supports 15 mammalian species including Hoolock Gibbon (*Hylobates hoolock*), Stump-Tailed Macaque (*Macaca arctiodes*), Phayre's Leaf Monkey (*Trachypithecus phayrei*), Capped Langur (*Trachypithecus pileatus*), Leopard (*Panthera parades*), Golden Cat (*Felts temminckii*), Marbled Cat (*Pardofelis marmorata*), Jungle Cat (*Felts chaus*), Leopard Cat (*Prionailurus bengalensis*), Himalayan back bear (*Ursus thibetanus*), Malayan sun bear (*Helarctos malayanus*), Wild Dog/Dhole (*Cuon alpines*), Serow (*Capricornis rubidus*),Goral (*Nemorhaedus griseus*) and Barking Deer (*Muntiacus muntjak*);

AND WHEREAS, the Sancturay supports three important reptole species including Burmese Python (*Python molunusbivittatus*), King Cobra (*Ophiophagus Hannah*) and Green WhipSnake (*Ahaetulla nasuta*). It also supports three improtant Freshwater Tortoises/Terrapins and Turtles including Asian Brown Tortoise (*Manouria emys*), Assam Leaf Turtle (*Cyclemys dentate*) and Malayan Box Turtle (*Cuora amboinensis*);

AND WHEREAS, the Sanctuary is rich in avifauna and supports 17 important bird species like Kalij Pheasant (*Lophura leucomelanos*), Grey Peacock Pheasant (*Polyplectron bicalcaratum*), Bamboo Partridge (*Bambusicola fytchii*), Small Buttonquail (*Turnix sylvaticus*), Oriental Pied Hornbill (*Anthracoceros albirostris*), Wreathed hornbill (*Rhyticerus undulatus*), Grey wagtail (*Motacilla cinerea*), Forest wagtail (*Motacilla indica*), Red headed Trogon (*Harpactes erythrocephalus*), Longtailed Broadbill (*Psarisomus dalhousiae*), Grey headed Parrotbill (*Paradoxornis gularis*), White crested laughing thrush (*Garrulax leucolophus*), Brown wood owl (*Strix leptogrammica*), Little buttonguail (*Turnix sylvatica*), Blue bearded Bee eater (*Nyctyornis athertoni*) and Grey backed shrike (*Lanius tephronotus*);

AND WHEREAS, the Sanctuary also have 11 endemic species including Clouded leopard, Hoolock gibbon, Sun bear, Slow lorries, Phayre's leaf monkey, Sambar, Serow, Khaleej pheasant, Peacock pheasant, Common hill partridge and Pied hornbill;

AND WHEREAS, the Sanctuary is home to a variety of confined flora, fauna and avifauna, and provides protection and shelter to rare and endangered species of wildlife endemic to Mizoram and the North-East region. Hence, it is necessary to conserve and protect the area around the Sanctuary from ecological and environmental point of view to protect and propagate the biodiversity therein and its environment;

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area of 16.19 square kilometers with extents varying from 0.1 km to 0.6 km around the boundary of Khawnglung Wildlife Sanctuary in Mizoram State as the Khawnglung Wildlife Sanctuary Eco-Sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-Sensitive Zone), details of which are as under, namely :-

1. Extent and Boundaries of Eco-Sensitive Zone :-

(1) The Eco-Sensitive Zone shall be 16.19 square kilometers with extents varying from 0.1 km to 0.6 km around the boundary of the Khawnglung Wildlife Sanctuary;

(2) The boundary description of the Eco-Sensitive Zone around Khawnglung Wildlife Sanctuary is appended as **Annexure-I**;

(3) The coordinates of the Khawnglung Wildlife Sanctuary and its Eco-Sensitive Zone in terms of Global Positioning System coordinates is appended as **Annexure-II**;

(4) The map of Eco-Sensitive Zone is appended as **Annexure-III**;

2. Zonal Master Plan for the Eco-Sensitive Zone :-

(1) The State Government shall, for the purpose of effective management of the Eco-Sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of Final Notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this Notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for Eco-Sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this Notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments for integrating the ecological and environmental considerations into the proposed plan:

i. Environment;
ii. Forest and Wildlife;
iii. Agriculture & Horticulture;
iv. Animal Husbandry and Veterinary;
v. Land Revenue and Settlement;
vi. Local Administration;
vii. Police;
viii. Rural Development;
ix. Municipal and Urban development;
x. Panchayati Raj;
xi. Public Works Department;
xii. Tourism including Eco-tourism;
xiii. Fisheries;
xiv. Irrigation and Flood Control;
xv. State Pollution Control Board.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this Notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of the local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area such as park and

like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies. The Zonal Master Plan shall be supported by maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-Sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table and also ensure and promote the eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the State and District level Eco-Sensitive Zone Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this Notification.

3. **Measures to be taken by State Government :-** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this Notification, namely :-

(1) Landuse:

(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-Sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential complex or industrial activities.

(b) Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than the Eco-Sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:

(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) Small scale industries not causing pollution;

(iv) Cottage industries including village industries; Convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) Promoted activities and activities given under para 4.

(c) Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority the relevant laws of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

(d) Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-Sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

(e) Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(f) Provided also that there shall be no consequential reduction in the green area such as forest area and agriculture area. Efforts shall be made to reforest the unused, denuded or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat and biodiversity restoration activities.

(2) **Natural water bodies:** The catchment areas of all natural rivers/channels/springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan. The strict guidelines shall be drawn up by the State Government to prohibit development activities at or near these areas.

(3) Tourism/Eco-tourism:

(a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-Sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of Eco-Tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1.0 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary or up to the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1.0 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-Sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-Tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the Eco-Tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on Eco-Tourism;

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.

(4) Natural Heritage: All sites of valuable natural heritage in the Eco-Sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites: Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-Sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as a part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution: Prevention and control of noise pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) Air pollution: Prevention and control of air pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.

(8) Discharge of effluents: Discharge of treated effluent in Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes: Disposal and management of solid wastes shall be as under:-

(a) The solid waste disposal and management in Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide Notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016;

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste: Bio-medical waste management shall be as under:

(a) The Bio-medical waste disposal in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic Waste Management: The plastic waste management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and Demolition Waste Management: The management of construction and demolition waste in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste Management: The e- waste management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic: The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular Pollution: The prevention and control of vehicular pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) Industrial Units: (i) On or after the publication of this Notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-Sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this Notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of Hill Slopes: The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this Notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-Sensitive Zone:

All activities in the Eco-Sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
		A. Prohibited Activities
1.	Commercial mining.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of *bona fide* local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of

		T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries including new oil and gas exploration causing pollution (Wat.er, Air, Soil, Noise, etc.).	(a) No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-Sensitive Zone shall be permitted. (b) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in Feb 2016, unless so specified in this Notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major thermal and major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-Sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Commercial use of fire wood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
	B. Regulated Activities	
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	(a) No new commercial hotels and resorts shall be permitted within 1.0 km of the boundary of the Protected Area or up to the extent of Eco-Sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-Tourism activities. (b) Provided that, beyond 1.0 km from the boundary of the Protected Area or up to the extent of Eco-Sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism/Eco-tourism Master Plan and guidelines as applicable.
10.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies .	Regulated under applicable laws.
11.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within 1.0 km from the boundary of the Protected Area or up to extent of the Eco-Sensitive Zone whichever is nearer: (b) Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting Eco-Tourism including home stays; and

		(v) Promoted activities listed in this Notification. (c) Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (d) Beyond 1.0 km it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Small scale non-polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-Sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
13.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
14.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures .	Regulated under applicable law.Underground cabling may be promoted.
16.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-Sensitive Zone area by hot air balloon, Microlites, helicopter, drones etc.	Regulated under applicable law.
19.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
22.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
24.	Open well, borewell etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
25.	Use of plastic bags.	Use of polythene bags are permitted within the Eco-Sensitive Zone. However, based on specific requirement, it shall be regulated under applicable laws.

26.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
27.	Eco-Tourism.	Regulated under applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
	C. Promoted Activities	
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels.	Biogas, solar light etc. to be actively promoted.
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Use of Eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
36.	Skill development.	Shall be actively promoted.
37.	Restoration of habitat/ degraded land/ forests.	Shall be actively promoted.
38.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee :- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a District level Eco-Sensitive Zone Monitoring Committee (DESZMC) for effective monitoring of the Eco-Sensitive Zone, which shall comprise of, namely:-

(i)	Deputy Commissioner of Lunglei District	- Chairman;
(ii)	Representative of Land Revenue & Settlement Department	- Member ;
(iii)	Representative of Rural Development Department	- Member ;
(iv)	Representative of Agriculture Department	- Member ;
(v)	Representative of Local Administration Department	- Member ;
(vi)	Representative of Public Works Department	- Member ;
(vii)	Representative of Public Health Engineering	- Member ;
(viii)	Representative of Fishery Department	- Member ;
(ix)	Representative of Industries Department	- Member ;
(x)	Representative of Police Department	- Member ;
(xi)	Representative of Power & Electricity Department	- Member ;
(xii)	Representative of Animal Husbandry & Veterinary Department	- Member ;
(xiii)	Representative of Soil & Moisture Conservation Department	-Member ;
(xiv)	Representative of Minor Irrigation Department	- Member ;
(xv)	Representative of non-governmental organization working in the field of Nature conservation (including heritage conservation) to be nominated by Government of Mizoram	- Member ;
(xvi)	Regional Officer, Mizoram State Pollution Control Board	- Member ;
(xvii)	One expert in Ecology from reputed institution or university of the State of Mizoram to be nominated by the Government of Mizoram	- Member ;
(xviii)	One expert in Biodiversity from reputed institution or university of the State of Mizoram to be nominated by the Government of Mizoram	- Member ;
(xix)	Concerned DCF/DFO	-Member Secretary.

6. Terms of Reference.-

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(2) The tenure of the Committee shall be three years or till the constitution of the new committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-Sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column(3) of the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said Notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 but are falling in the Eco-Sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column (3) of the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned work in-charge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this Notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State Ministry of Environment, Forest and Climate Change as per pro forma appended at Annexure IV.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this Notification.

8. The provisions of this Notification are subject to the orders, if any, passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/19/2017-ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

Boundary description of the Eco-Sensitive Zone around Khawnglung Wildlife Sanctuary

North: Staring from the confluence of Daiduk Lui and Tuichang Lui, (92°55'59.084"E, 23°10'27.637"N) the Eco-Sensitive Zone boundary runs at a distance of 500 meters away from the Sanctuary boundary till it meets Vaiphei Lui (92°57'40.276"E, 23°9'19.043"N).

East: After crossing Vaiphei Lui, the Eastern boundary of Eco-Sensitive Zone runs at a distance of 500 meters from the Sanctuary boundary till it meets Tuikual lui (92°59'52.932"E, 23°5'42.853"N).

South: From the Tuikual Lui the Southern boundary extends at a distance of 600 meters from the sanctuary boundary till it meets Tuchang river (92°57'27.647"E, 23°3'56.07"N).

West: The western boundary of the Eco-Sensitive Zone starts at a distance of 100 meters away from the confluence of Tuikhur lui and Tuichang River. It runs along the boundary of the Sanctuary at a distance of 100 meters till it meets Tuihar Lui (92°56'18.18"E, 23°6'9.242"N). Beyond that it extends at a distance of 600 meters of Sanctuary boundary and after crossing Khawnkawn lui (92°54'59.715"E, 23°7'54.109"N) it meets Daiduk lui.

The width of the Eco-Sensitive Zone varies from 100 meters to 600 meters from the Sanctuary boundary.

ANNEXURE-II

Coordinates of the Khawnglung Wildlife Sanctuary and its Eco-Sensitive Zone in terms of Global Positioning System

GEO-COORDINATES OF THE PROTECTED AREA BOUNDARY

Sl. No.	Location/Direction of Prominent point	Latitude (N) (DMS Format)	Longitude (E) (DMS Format)
1	North	23°10'14.117"N	92°56'10.368"E
2	South-East	23°5'39.496"N	92°59'36.494"E
3	South	23°4'14.416"N	92°57'30.665"E
4	North	23°8'18.906"N	92°55'17.243"E

GEO-COORDINATES OF THE ECO-SENSITIVE ZONE BOUNDARY

Sl. No.	Location/Direction of Prominent point	Prominent point	Latitude (N) (DMS Format)	Longitude (E) (DMS Format)
1	North	Daiduk Lui	23°10'27.637"N)	92°55'59.084"E
2	North-East	Vaiphei Lui	23°9'19.043"N	92°57'40.276"E
3	East	Tuikual Lui	23°5'42.853"N	92°59'52.932"E
4	South-East	Tuitlin Lui	23°5'42.319"N	92°59'57.270"E
5	South	Tuchang Lui	23°3'56.07"N	92°57'27.647"E
6	South-West	Tuihar Lui	23°6'9.242"N	92°56'18.18"E
7	West	Khawnkawn Lui	23°7'54.109"N	92°54'59.715"E

ANNEXURE-III

MAP OF THE KHAWNGLUNG WILDLIFE SANCTUARY ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH GEO-COORDINATES

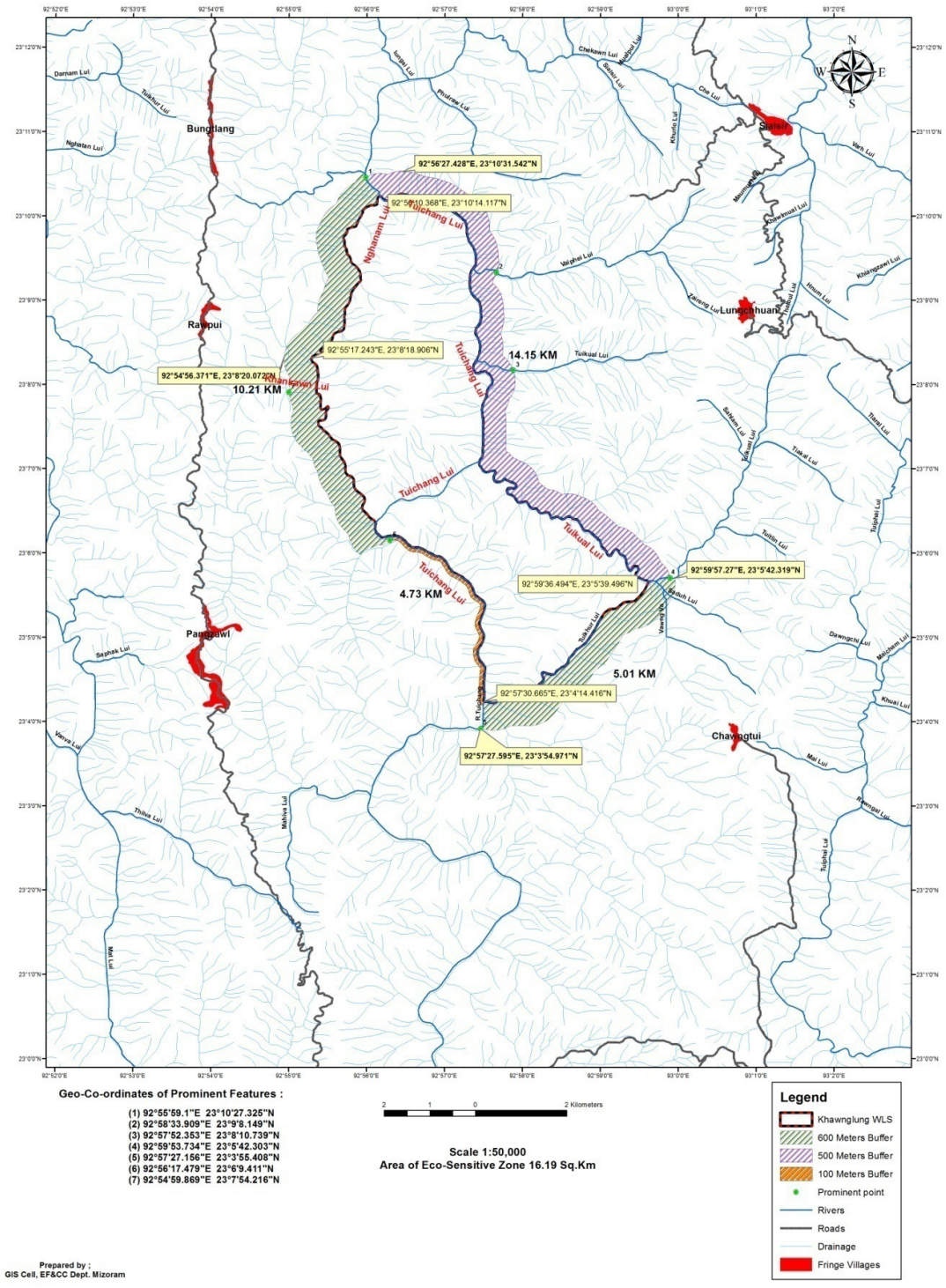

Geo-Co-ordinates of Prominent Features :

(1) 92°55'59.1"E 23°10'27.325"N
(2) 92°58'33.909"E 23°9'8.149"N
(3) 92°57'52.353"E 23°8'10.739"N
(4) 92°59'53.734"E 23°5'42.303"N
(5) 92°57'27.156"E 23°3'55.408"N
(6) 92°56'17.479"E 23°6'9.411"N
(7) 92°54'59.869"E 23°7'54.216"N

Prepared by ;
GIS Cell, EF&CC Dept. Mizoram

ANNEXURE-IV

Pro forma of Action Taken Report: Eco-Sensitive Zone Monitoring Committee:-

1. Number and date of Meetings:
2. Minutes of the meetings: (Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan:
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record: (Details may be attached as separate Annexure).
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006: (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinized for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006: (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986:
8. Any other matter of importance:

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.12.15 15:29:57 +05'30'